न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 28/2020

1 रिछपाल सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह मृतक।
1/1 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह।
1/2 मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर।
1/3 सरोज कंवर पत्नी गोपाल सिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी सान्या तहसल डीडवाना जिला नागौर।
1/4 सुमन कंवर पत्नी गोपाल सिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेवलिया का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2 दयाल सिंह पुत्र श्यामसिंह।
3 किशोर सिंह पुत्र श्यामसिंह।
4 भीवसिंह पुत्र श्यामसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजियक सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 10.02.2020
द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम कम संख्या 2
सीकर अन्तर्गत दावा संख्या 68/2017 बउनवानी
रिछपाल सिंह बनाम भंवरसिंह अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ग्राम बेरी की भूमि खसरा नम्बर 2308 बाबत घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। दौराने सुनवाई प्रतिवादी ने अदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आदेश 7 नियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है। वादी ने अपना वाद जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में वादी के पिता का नाम कृषक के कॉलम में दर्ज होने के आधार पर खातेदारी उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया है। इस बिन्दु का निश्चय तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि केवल मात्र एक जमाबंदी में अंकन के आधार पर 55 वर्ष बाद केवल एक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पोषणीय नही है। अर्जुन सिंह के अन्य वारिसान द्वारा न तो वाद प्रस्तुत किया गया है न ही वादी द्वारा इनको पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तृत विवेचन कर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2012 (2) पेज 1351, डी.एन.जे. 2016 (एस.सी.) पेज 517 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है। वादी ने अपना वाद जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में वादी के पिता का नाम कृषक के कॉलम में दर्ज होने के आधार पर खातेदारी उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया है। इस बिन्दु का निश्चय तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर